## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील संख्याः–406/18**

1. मूलचन्द पुत्र श्री महावीर प्रसाद कुमावत, जाति कुमावत निवासी ग्राम शिश्यू पुलिस थाना रानोली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

——अपीलार्थी

**बनाम**

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर जिला सीकर।

——रेस्पोडेन्ट

**निर्णय**

**दिनांकः 30.01.2019**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2018 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु वर्ष 2013 में अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2013 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) क्रमांक 62/पी.एस.खाटू(रानोली) वैधता अवधि दिनांक 15.05.2014 हेतु जारी किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र की वैधता अवधि नवीनीकरण कराये जाने के कारण दिनांक 22.05.2014 को वैधता अवधि दिनांक 31.12.2017 हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स नवीनीकरण कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को नियम कानून की विस्तृत जानकारी नही होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स को दिनांक 31.12.2017 से पूर्व नवीनीकरण नही करा सका तथा अपीलार्थी को इस विश्वास में रहा कि लाईसेन्स वर्ष 2018 तक वैध है, दिनांक 31.05.2018 को अपीलार्थी किसी कारणवश शस्त्र अनुज्ञा पत्र को देखने से जानकारी में आया कि अनुज्ञा पत्र की वैधता तो दिनांक 31.12.2017 को करीब 5 माह पूर्व ही समाप्त हो चुकी है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब निवेदन दिनांक 01.06.2018 को ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत कर दिया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.06.

का भौतिक सत्यापन किया जाकर पुलिस अधीक्षक सीकर से जरिये पत्र दिनांक 01.06.2018 को रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2018 प्रस्तुत कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु कोई आपत्ति नही होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 09.07.2018 को आर्म्स लाईसेन्स इश्यूऐंस अधिकारी से लाईसेन्स होल्डर मास्टर रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 16.07.2018 को अपीलार्थी को विलम्ब का कारण स्पष्ट करने हेतु नोटेरी अटेस्टेड शपथ पत्र प्रस्तुत करने व निर्धारित शुल्क, विलम्ब शुल्क जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा जरिये चालान संख्या 24061414 दिनांक 16.07.2018 को राशि 4000/—अक्षरे चार हजार लाईसेन्स नवीनीकरण लेट फीस एवं जरिये चालाना 24061238 दिनांक 16.07.2018 को राशि 3000/— अक्षरे तीन हजार रूपये लाईसेन्स नवीनीकरण फीस हेतु जमा कराये गये। उन्होने कथन किया है कि लाईसेन्स नवीनीकरण फीस, विलम्ब शुल्क जमा कराने व पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन, शपथ पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2018 पारित किया गया जिससे अपीलार्थी के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2018 पारित किया है जो पूर्णतः अवैध, तथ्यों एवं कानून के विपरित होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 संशोधित नियम 2010 एवं 2012 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त फरमाये जाने हेतु जिन शर्तो का उल्लेख किया गया अपीलार्थी द्वारा उन शर्तो का कोई उल्लंघन नही किये जाने के उपरान्त भी आधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का मुख्य आधार विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करना अंकित किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण स्पष्ट किये जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी एक सभ्रान्त परिवार का प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसको अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेन्स को नवीनीकरण करवाया जाना अति आवश्यक

को जान माल को नुकसान होने की पूरी–पूरी संभावना है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर दिनांक 16.11.2018 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र दिनांक 16.05.2013 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट से विलम्ब फीस जरिये चालान संख्या 24061414 दिनांक 16.07.2018 से राजकोष में जमा भी करवाये गये है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा विलम्ब को बिना कण्डोन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।